



UPAU010013282015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया**सत्र वाद संख्या-60 सन 2015**

राज्य बनाम शिवकरन आदि

मुकदमा अपराध संख्या-537/2014

धारा-323, 504, 506, 304 भा.दं.सं.

थाना-अजीतमल, जिला औरैया

दिनांक:-13.06.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 55 ख न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 55 ख का विरोध नहीं किया गया।
2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 सी.आर.पी.सी ख-55 विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण में पंचायतनामा करने वाले साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव का नाम आरोपपत्र में नहीं है जब कि इसी साक्षी द्वारा पंचायतनामा भरा गया है। अतः साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव को साक्ष्य हेतु तलब करने का अनुरोध किया गया है।
3. प्रार्थनापत्र ख-55 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि इस साक्षी का साक्ष्य कराने में आपत्ति नहीं है।
4. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव को आरोपपत्र का गवाह नहीं बनाया गया है परन्तु न्यायहित में उसका साक्ष्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस गवाह का बयान कराना न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।
5. **दं०प्र०सं० 1973, की धारा 311** में यह प्रावधान वर्णित है कि **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति-** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।
6. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (इददर एवं अन्य बनाम आबिदा एवं अन्य 2008 सुप्रीम कोर्ट किम० 2008(1) एससीसी(किम) 22** में यह अवधारित किया गया है कि-दं०प्र०सं० की धारा 311 का प्रयोजन न्याय की विफलता को रोकना है। दं०प्र०सं० की धारा 311 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, इस विषय में यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक कारक यह है कि यह आवश्यक है कि वाद का निर्णय उचित हो।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (रामा पासवान एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, 2008 सु०को०कि०रू 568)** में यह अवधारित किया गया है कि- दं०प्र०सं० की धारा 311 दो भागों में है। पहला भाग न्यायालयों को पूर्णतः वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है कि वह तात्त्विक साक्षी को जाँच विचारण या कार्यवाहियों के किसी स्तर पर समन करे। दूसरा भाग आज्ञापक है और न्यायालय को बाध्य करता है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही करे, जो न्याय करने के लिए आवश्यक है।
7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख-55 उपरोक्त स्थापित धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुरूप है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में है। अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिए प्रश्नगत साक्षी

एस.आई. सतीशचन्द्र यादव को परीक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र ख-55 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ख-55 स्वीकार किया जाता है कि साक्षी एस.आई. सतीशचन्द्र यादव के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसी दिन साक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। सम्बन्धित साक्षी को जरिए समन साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।

(पारूल जैन)

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
कक्ष संख्या-01, औरैया